एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी–परिपत्र संख्या–22/2020

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जून 07,2020

विषयः–डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु जैविक साक्ष्यों के संकलन, परिरक्षण एवं प्रेषण की परिचालनिक प्रकिया (Standard Operating Procedure) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि दोषपूर्ण विवेचना होने से जहॉ अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता है वहीं पुलिस विभाग के प्रति प्रतिकूल धारणा बनती है। अपराधों की विवेचना में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का समावेश किया जाना आवश्यक हो गया है। मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा वैज्ञानिक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष की विश्वसनीयता अधिक होती है। मा0 न्यायालय अनेक प्रकरणों में ऐसे साक्ष्यों को सर्वाधिक महत्व देता है।

विधिविज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि नमूना संकलित करने वाले विवेचकों द्वारा नमूना संकलित करने में अनेक असावधानियॉ बरती जाती हैं। जिसके कारण परीक्षण का सही परिणाम नही निकल पाता है, साथ ही विवेचनाधिकारियों द्वारा प्रेषित नमूने, साथ भेजे जाने वाली पृच्छा भी अस्पष्ट एवं असंगत होती है, जिसके कारण उचित राय कायम करने एवं विवेचक को अपेक्षित परिणाम से अवगत कराया जाना संभव नही हो पाता है।

विवेचक स्तर पर डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु भौतिक/जैविक साक्ष्यों के संकलन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का समुचित ज्ञान न होने के कारण डी0एन0ए0 परीक्षण का भौतिक/जैविक साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने का अपेक्षित लाभ नही मिल पा रहा है।

विधिविज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 को परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रदर्शों (नमूनों) के संकलन एवं परिरक्षण (collection and preservation) के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:–

➢ विवेचक के दायित्वः–

- जनपद के फील्ड यूनिट को तत्काल सूचित कर घटना स्थल पर पंहुचने हेतु आग्रह किया जाये।
- फील्ड यूनिट के सहयोग से घटना स्थल का सूक्ष्मता से अध्ययन कर सभी महत्वपूर्ण **जैविक साक्ष्यों** को संकलित किया जाये।
- महिलाओं/बालिकाओं के प्रति ऐसे अपराध जिनमें जैविक साक्ष्य संग्रहीत किये जाने हों तो निर्धारित प्रकिया के अनुसार पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा जाये।
- विवेचनाधिकारी को घटना स्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य/सैम्पल संकलन, महिला सम्बन्धी अपराधों में पीड़िता/मृतका एवं अभियुक्त से सम्बन्धित साक्ष्यों का संकलन कर चिकित्साधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराया जाये तथा संकलित प्रर्दशों को 72 घंटे के अंदर विधिविज्ञान प्रयोगशाला को प्रकियानुरूप जमा कराना चाहिए।

- घटना स्थल पर प्राप्त जैविक साक्ष्यों को फील्ड यूनिट के सहयोग से परिरक्षित किया जाये।
- विवेचक द्वारा साक्ष्यों के संग्रहण के दौरान यह सुनिश्चित करना कि केवल उपयोगी साक्ष्य एवं आवश्यक मात्रा में ही प्रर्दश संग्रहीत किये जाये ताकि उनका शीघ्र परीक्षण किया जा सके तथा परीक्षण रिपोर्ट में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।
- विवेचक द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 53 व 53–ए–(1) के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्त का पंजीकृत चिकित्सक (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर)से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। बलात्कार की घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात बलात्कार के साक्ष्य के लिए उसका मेडिकल परीक्षण पंजीकृत चिकित्सक (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर) से अवश्य कराया जायेगा। जिससे उसके द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि हो सके तथा अपराध में संलिप्त होने का पर्याप्त आधार मिल सके।
- विवेचक का यह दायित्व होगा कि परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट को विवेचना में बिना देरी के सम्मिलित करें ताकि अभियुक्त को धारा 167 द0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त होकर जमानत न मिल सके।
- विवेचक इस बात का ध्यान रखेगा कि बयान में अंकित तथ्यों को धारा 173 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तक किसी के समक्ष न प्रकट किया जाये। इस सम्बन्ध में गोपनीयता बनायी रखी जाये।
- ब्लड सैम्पल 04 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने की व्यवस्था की जाये।

➢ **फील्ड यूनिट के दायित्वः–**

- घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घटना स्थल पर पंहुचना चाहिए।
- जैविक साक्ष्यों के संग्रहण एवं परिरक्षण में विवेचक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना जिससे संग्रहीत जैविक साक्ष्यों की सत्य के रूप में सार्थकता हो।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि जैविक साक्ष्यों के संग्रहण एवं परिरक्षण के लिए जिन रसायनों/सामग्रियों/उपकरणों की आवश्यकता हो उसे फील्ड यूनिट के कर्मचारी अपने साथ अवश्य रखेंगें।
- जैविक साक्ष्यों की संभावित उपस्थिति से लेकर उनके संग्रहण, परिरक्षण एवं उनके सम्प्रेषण हेतु आवश्यक समस्त कार्यवाही अपने निकट पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में संपादित कराना चाहिए।
- उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकिया में जिन कार्यवाहियों को स्वयं द्वारा संपादित किया जाना हो उसे निर्धारित प्रकिया के अनुसार पूर्ण कराते हुए नियमानुसार विवेचक को तत्काल अवगत करायेंगें।
- पीड़ित/अभियुक्त के डीएनए परीक्षण हेतु चिकित्सालय जाने तक बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में परामर्श दिया जाये।

➢ **चिकित्सक के दायित्वः–**

- द0प्र0सं0 की धारा 53–ए–(2) के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक अभियुक्त तथा उसको प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व पता

चिकित्सक बलात्कार सम्बन्धी परिणाम निकालने के कारक जैसे अभियुक्त की आयु, उसके शरीर पर पाये जाने वाली चोटों के निशान, उसके शरीर से डी0एन0ए0 प्रोफाइलिंग हेतु एकत्रित किये गये पदार्थो तथा अन्य पाये जाने वाले पदार्थो का विवरण अंकित करेगा। चिकित्सीय परीक्षण में परिणाम निर्धारित करने के कारण और परीक्षण के प्रारम्भ होने का सही समय भी अंकित करेगा तथा परीक्षण रिपोर्ट विवेचक को प्रेषित करेगा। उक्त परीक्षण रिपोर्ट को विवेचक द0प्र0सं0 की धारा 173–(5)–(ए) के अनुपालन में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

- द0प्र0सं0 की धारा 53–ए–(2) के अन्तर्गत बलात्कार के अपराधों में परीक्षण मे रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, प्रयुक्त रूई के फाये(swab), पीड़िता के जननांग में पाये जाने वाले अभियुक्त का वीर्य तथा अभियुक्त के जननांग पर मौजूद रक्त स्त्रवित द्रव्य, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अंगुली के नाखूनों से पकड़ने के निशान तथा अन्य आवश्यक परिरक्षण एवं संग्रहण पंजीकृत चिकित्सक (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर) करेगा तथा उसे विवेचक के माध्यम से विधिविज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया जायेगा।
- डीएनए प्रोफार्मा (परिशिष्ट ग) चिकित्सक द्वारा स्वयं भरा होना चाहिए।

➢ **डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु सैम्पलिंग किये जाने वाले आवश्यक प्रर्दशों का विवरणः–**

- पैतृक विवाद, लैंगिक अपराध, पहचान निर्धारण एवं हत्या आदि के मामलों में लिये जाने वाले जैविक पदार्थों के नमूनों तथा नमूना रक्त, स्मियर स्लाइड, टिशू एवं फीटस, कपड़े, हड्डियों आदि के नमूने लेने हेतु विवरण की तालिका **परिशिष्ट 'क' एवं 'ख'** में संलग्न है।
- डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किये जाने हेतु डी0एन0ए0 परीक्षण प्रपत्र 1/2/2011 एव प्रपत्र 2/2/2011 जो पूर्व में प्रेषित किया गया हैं **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है। डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु कब्जे में लिये गये साक्ष्य/नमूने को निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण हेतु भेजा जाये।
- डी0एन0ए0 साक्ष्य का आपराधिक अन्वेषण में सार्थक उपयोग करने हेतु उसकी पहचान एकत्रण, परिरक्षण, संग्रहण एवं प्रलेखन उचित प्रकिया से होना आवश्यक है।
- डी0एन0ए0 परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील है किंचित मात्र की असावधानी नही बरतनी चाहिए। नमूना/प्रर्दशों के एकत्रण परिरक्षण संरक्षण, पैकिंग तथा परिवहन में सावधानी रखना अत्यन्त आवश्यक है।
- जनपदीय स्तर पर डी0एन0ए0 नमूना/प्रर्दशों के संकलन एवं परिरक्षण सम्बन्धी जानकारी जनपदीय फील्ड यूनिट मे तैनात कर्मियों से प्राप्त की जा सकती है। विवेचनाधिकारियों को जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाये।

➢ **सामान्य निर्देशः–**

- घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल ही निकटस्थ पी0आर0वी0 वाहन को घटना स्थल पर पहुंचकर उसे संरक्षित करने हेतु निर्देश दिया जाये।
- विधिविज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसके परिणाम व अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

- यदि समयावधि के अन्दर परीक्षण रिपोर्ट विधिविज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त नही होती है तो जनपद प्रभारी द्वारा विधिविज्ञान प्रयोगशाला को प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया जाये।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वैज्ञानिक परीक्षण हेतु संकलित किये जाने वाले नमूनों/प्रदर्शों के संकलन एवं संग्रहण (collection and preservation) के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही तथा उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सुसंगत पृच्छा विधिविज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें इसमे किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/डायल 112/तकनीकी सेवायें/रेलवे उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस/एसटीएफ, उ0प्र।
5. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।

परिशिष्टः–ख

➢ डी0एन0ए0 सम्बन्धित प्रदर्शों के एकत्रण एवं संकलन हेतु सावधानियॉः–

क0सं0	प्रदर्शों का प्रकार	क्या करें	क्या न करें
1	नमूना रक्त	1–सभी रक्त नमूने ई0डी0टी0ए0 वायल में मेडिकल ऑफीसर द्वारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकत्र किये जाये। 2–अभियुक्त से सम्बन्धित कंट्रोल सैम्पल हेतु केवल रक्त नमूना ही संकलित करें।	1–साधारण वायल में रूम टेम्परेचर पर एकत्र न करें। 2– अभियुक्त से सम्बन्धित कंट्रोल सैम्पल हेतु नाखून की कतरन, प्यूबिक हेयर, हेड हेयर एवं सिमेन आदि न एकत्र करें।
2	स्मियर स्लाइड	बिना स्टेन किये एकत्र करें	स्टेन कदापि न करें
3	टिशू एवं फीटस आदि	नार्मल स्लाइड में एकत्र करें	फर्मलीन में कदापि एकत्र न करे।
4	कपड़े	स्टेन लगे कपड़े छाये में सुखाये एवं पेपर व कपड़े में एकत्र करें	पालीथीन बैग का प्रयोग कदापि न करें।
5	हड्डियॉ	1– छाये में सुखाये तथा कागज में लपेटकर कपड़े में एकत्र करें। 2–फीमर/ह्यूमरस/ टीबिया/ रिब्स/मोलर दांत भेजें	1– पालीथीन बैग का उपयोग कदापि न करें। 2– जली हड्डी व राख न भेजे।

प्रपत्र डी0एन0ए0 परीक्षण—1/2/2011
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ—226 006
टेलीफोन नं0/फैक्स—0522—2336232
ई—मेल :— dirfsl@up.nic.in

अग्रसारण—प्रपत्र—डी0एन0ए0 परीक्षण

अभियोग संख्याः.....धारा.....थाना.....
जनपद.....राज्य.....दिनांक.....

1. अभियोग का संक्षिप्त इतिहासः—

2. परीक्षण हेतु नमूनों का विवरणः—

क्र0 सं0	नमूना लिये जाने का दिनांक	नमूना देने वाले व्यक्ति का नाम	नमूने का स्रोत (सम्भावित माता, पिता, संतान, आदि)	टिप्पणी

3. नमूना सीलः—
(लाख की मुद्रा को सैलोटेप से कवर कियां जाये)

विवेचनाधिकारी के हस्ताक्षर
नामः—.....
पदनाम/रबर स्टाम्पः—.....
दिनांकः—.....

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर
नामः—.....
पदनाम/रबर स्टाम्प :—.....
दिनांकः—.....

क्रमशः

प्राधिकार पत्र

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0, महानगर, लखनऊ का अभियोग संख्या .....
.....धारा.....थाना.....
जनपद.....राज्य.....दिनांक.....
से संबंधित प्रेषित नमूनों को परीक्षण में उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम:–.....
पदनाम/रबर स्टाम्प :–.....
दिनांक:–.....

नोट:–

1. पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से कम न हो अथवा माननीय न्यायालयों द्वारा अग्रसारण किया जाना है। अभियोगों का अग्रसारण प्रपत्र–1 के अनुसार होना वांछित है।
2. नमूना सील लाख की पठनीय, प्रमाणित व सैलोटेप से सुरक्षित होनी चाहिए।
3. सभी अग्रसारित रक्त सैम्पल ठीक से चिन्हित, सील्ड हों एवं अग्रसारण प्रपत्र में उनका स्पष्ट उल्लेख तथा जीवित व्यक्ति का फोटोग्राफ डाक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
4. एफ0आई0आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट)/मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ आदि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
5. डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग परीक्षण हेतु भेजे गये रक्त सैम्पल सील्ड अवस्था में पॉलीथीन में रखकर बर्फ के साथ थर्मस फ्लास्क में सुरक्षित भेजे जायें।
6. प्रत्येक रक्त सैम्पल हेतु अलग–अलग प्रपत्र संख्या–2/2 दो प्रतियों में भरकर भेजना चाहिए।
7. प्रपत्र–1/2 व 2/2 अपूर्ण होने की स्थिति में अभियोग परीक्षण हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रपत्र डी0एन0ए0 परीक्षण–2/2/2011

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226 006
टेलीफोन नं0/फैक्स–0522–2336232
ई–मेल :– dirfsl@up.nic.in

डीएनए परीक्षण हेतु
जैविक नमूनों का प्रमाणीकरण प्रपत्र

फोटोग्राफ
जीवित व्यक्ति का
डाक्टर द्वारा प्रमाणित

(I) नमूने के स्रोत का विवरण:

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....
2. पिता/संरक्षक का नाम.....
3. लिंग..... 4. आयु..... वर्ष..... माह.....
5. पूरा पता.....
6. चिकित्सा/स्वास्थ्य विवरण
   सामान्य..... रोग/दीर्घकालिक रोग .....
   आनुवांशिक विकृति .....
7. रक्त आधान यदि कोई हुआ हो– विगत तीन माह में: यदि हॉ तो दिनांक .....
8. अंग प्रत्यारोपण, यदि कोई हो तो दिनांक–.....

(B) अभियोग परीक्षण हेतु ज्ञात संग्रहित नमूना
अभियोग सं0.....दिनांक.....थाना.....धारा.....

(C) डी0एन0ए0 परीक्षण का उद्देश्य.....

(D) जैविक नमूने के स्रोत/दाता द्वारा घोषणा:
मैं.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि परीक्षण हेतु संग्रहित/संकलित जैविक नमूना (नमूने).....मेरी सहमति एवं संज्ञान में लिया गया है तथा उपरोक्त सूचनायें सत्य है।

निशान अँगूठा बांया

निशान अँगूठा दाहिना

हस्ताक्षर .....
नाम .....
दिनांक.....

(E) (1) ज्ञात जैविक नमूने:
❖ (2) प्रदर्श–

(I) तरल रक्त ☐ (II) रक्त के धब्बे/रक्त रंजित प्रदर्श ☐ (III) मुख स्वाब ☐

(IV) समूल बाल जड़ सहित ☐ (V) वीर्य ☐ (VI) यौनि स्वाब ☐

(VII) गुदा (एनल) स्वाब ☐ (VIII) कटे नाखून (IX) हड्डियॉं ☐

(X) शरीर द्वारा स्रावित अन्य स्राव के धब्ब ☐ (XI) दॉत/इनेमल पल्प ☐

(XII) ऊतक ☐ (XIII) अन्य ☐

(XIII) व्यक्तिगत प्रयोग की जाने वाली सामग्री–

(i) कंघा ☐ (ii) अंतःवस्त्र ☐ (iii) लिपिस्टिक ☐

(iv)चश्मा ☐ (v) रूमाल ☐ (vi) कलाई घड़ी ☐

(vii) नाक एवं कान के आभूषण ☐ (viii) मोबाइल फोन ☐

(ix) कन्डोम ☐ (x) अन्य ☐

(F) जैविक नमूने का विवरण:

1 (i) रक्त परिरक्षण की मात्रा..... 2 (ii) ऊतक का नाम/मात्रा.....

(ii) परिरक्षण में प्रयुक्त रसायन..... (ii) ऊतक परिरक्षण में प्रयुक्त रसायन.....

3 अरंजित स्मीयर स्लाइड की संख्या..... 4. संकलित हड्डी .....

5 (i) संकलन/परिरक्षण का दिनांक.....

(ii) नमूना मोहर/सील की छाप:.....

(लाख की मुद्रा को सैलोटेप से कवर किया जाये।)

चिकित्सक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम/रबर स्टैम्प.....

दिनांक.....

(G) विवेचनाधिकारी/गवाह का विवरण

जैविक नमूनों का संकलन/संग्रहण दो गवाहों की उपस्थिति में किया जाना अधिमान्य है।

विवेचनाधिकारी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

दिनांक.....

गवाह 1:

सम्मानित नागरिक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

दिनांक.....

गवाह 2:

सम्मानित नागरिक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

दिनांक.....

मात्र कार्यालय प्रयोगार्थ:–

अभियोग सं0.....

डीएनए परीक्षण.....

वि0वि0प्र0 उ0प्र0, लखनऊ अभियोग प्राप्ति का दिनांक..... प्रदर्श संख्या.....

❖ सीआरपीसी 1973 के सेक्शन– 53, 53 ए, 164 एवं 164 ए में उल्लिखित वर्ष 2005 में संशोधित दिनांक 23.06.2006 से प्रभावी है।